



फैज़ अहमद किदवई आई.ए.एस.
प्रबंध संचालक-सह-आयुक्त

म.प्र. राज्य कृषि विपणन
(मंडी) बोर्ड

अर्द्ध शा. पत्र क्र. : B-5/2/5-9/2018/2018
दिनांक : 19/9/19
38/11/2018

विषय:-प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में दिनांक 01 जनवरी 2019 से ई-अनुज्ञा ऑनलाईन प्रणाली को लागू करने संबंधी।

19/9/19/2018

-0-

आपको विदित है कि पूरे प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में दिनांक 01 जनवरी 2019 से ई-अनुज्ञा ऑनलाईन प्रणाली को शत-प्रतिशत लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में सभी स्तर पर व्यापक तैयारियों की गई हैं और मण्डियों को शीघ्र ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं। समय समय पर व्यापारी संघों से प्राप्त सुझाव अनुसार साफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन/सुधार कराये गये हैं। दिनांक 01 जनवरी 2019 से ई-अनुज्ञा ऑनलाईन प्रणाली लागू करने के लिये सभी स्तर पर आवश्यक तैयारियों नियत समय सीमा में पूर्ण करना आवश्यक है। इस संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाये :-

- 1- अंचल की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों में गेप एनालिसिस की कार्यवाही मण्डी समितियों में पूर्ण की जाये।
- 2- पाक्षिकी जानकारी दिनांक 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर 2018 की अद्यतन कराई जाना तथा दिनांक 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2018 तक की पाक्षिकी जानकारी भी यथाशीघ्र पोर्टल पर दर्ज कराया जाना।
- 3- मण्डियों में उपलब्ध हार्डवेयर का आंकलन कर हार्डवेयर की व्यवस्था कर रखने के निर्देश पूर्व में ही दिये गये हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि सभी मण्डी समितियों में और प्रदेश में जहाँ अंतर्राज्यीय नाके स्थापित हैं वहाँ पर आवश्यकतानुसार हार्डवेयर की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जावे।
- 4- मण्डी के सभी व्यापारियों की मूलभूत जानकारी, मोबाईल नंबर इत्यादि अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 5- सभी मण्डी कर्मचारियों एवं व्यापारियों का प्रशिक्षण नियत समय सीमा में आयोजित कर पूर्ण कर लिया जाये और उनको Hand's on प्रशिक्षण भी दिया जाये ताकि वह ई-अनुज्ञा ऑनलाईन मॉड्यूल का सुगमता से उपयोग कर सकें।

hand's on

6- मण्डी समितियों के सचिव, मण्डी कर्मचारियों तथा व्यापारियों के पंजीयन, यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड से संबंधित जानकारी भेजी जा रही है।

7- मण्डी समितियों में ई-अनुज्ञा ऑनलाईन प्रणाली क्रियान्वयन के लिये इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जावे।

8- जिन मण्डियों में उपलब्ध कम्प्यूटर सामग्री के अतिरिक्त ई-अनुज्ञा ऑनलाईन प्रणाली क्रियान्वयन के लिये आवश्यकता होने पर निर्धारित स्पेसिफिकेशन अनुसार कम्प्यूटर/लेपटाप, एण्ड्राईड टेबलेट, लेसर प्रिंटर, मल्टी परपस प्रिंटर, यूपीएस कय व इस्टॉलेशन की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण की जाये।

9- ई-अनुज्ञा कार्य में लगे मण्डी कर्मियों के एण्ड्राईड मोबाईल के आई.एम.इ.आई. नम्बर की प्रविष्टि कर्मचारी पंजीयन के समय अनिवार्य रूप से ई-अनुज्ञा ऑनलाईन प्रणाली में दर्ज की जाना सुनिश्चित करें।

10- मण्डी में स्थापित इंटरनेट सुविधा में स्टेटिक आई.पी. (ग्लोबल आई.पी.) की जानकारी ई-अनुज्ञा ऑनलाईन प्रणाली में अनिवार्य रूप से दर्ज की जाये। जिससे पोर्टल पर आई.पी. नम्बर वाले कम्प्यूटर सिस्टम से ही कार्य सम्पादित कराया जा सकेगा अन्य से नहीं।

इस संबंध में विस्तृत चेकलिस्ट पूर्व में समय-समय पर प्रेषित पत्रों के आधार पर तैयार करी गई है, की प्रति संलग्न है। कृपया इसके अनुसार प्रतिदिन समीक्षा करें और प्रत्येक मण्डी मण्डी में दिनांक 01 जनवरी 2019 के पूर्व समस्त कार्यवाहियाँ पूर्ण करते हुये ई-अनुज्ञा ऑनलाईन प्रणाली को शत-प्रतिशत लागू करा जावे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

शुभाशुभा

भवदीय

(फैज अहमद किदवई)

प्रति,

श्री

संयुक्त संचालक,

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

आंचलिक कार्यालय (समस्त)

प्रदेश की मण्डियों में दिनांक 01 जनवरी 2019 से ई-अनुज्ञा मॉड्यूल के ऑनलाईन क्रियान्वयन हेतु चेक लिस्ट

क्र.	कार्य की मद	दी गई समयावधि एवं कार्य को पूरा किया जाना	किसके द्वारा	रिमार्क
1.	ई-अनुज्ञा मॉड्यूल प्रणाली में आवश्यक संशोधन, सुधार व रि-इंजीनियरिंग उपरांत साफ्टवेयर विकास कार्य को अंतिम रूप देना।	साफ्टवेयर – दिनांक 19 नवम्बर 2018	भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एन.आई.सी. भोपाल	रिपोर्ट्स क्रियेशन दिनांक 10 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण किया जावेगा।
2.	ई-अनुज्ञा ऑनलाईन मॉड्यूल साफ्टवेयर की पॉवर पाईट प्रस्तुति एवं टेस्टिंग।	दिनांक 01 दिसम्बर 2018 को पूर्ण करना है।	ई-अनुज्ञा स्पोर्ट एवं क्रियान्वयन टीम एवं विशेष आमंत्रित।	मण्डी बोर्ड की कौर कमेटी एवं वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में।
3.	ई-अनुज्ञा ऑनलाईन प्रणाली यूजर मेनुअल का विकास।	दिनांक 05 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करना है।	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई एवं मण्डी बोर्ड	
4.	ई-अनुज्ञा ऑनलाईन प्रणाली का Security Audit का कार्य। <u>अति-आवश्यक कार्य।</u>	दिनांक 10 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करना है।	मेप.आई.टी. भोपाल	पत्र क्रमांक MIS/B-5/2/e-Anugya/ 2018-19/936-937 dated 25-08-2018. (Page 254) एवं पत्र क्रमांक 959-960 दिनांक 26 सितम्बर 2018 (Page 290-291)।
5.	Domain Registration कराना & SSL Certificate प्राप्ति का कार्य। प्रदायक संस्था मेप0आई0टी0 भोपाल। (प्रस्तावित http://enugya.mp.gov.in)	दिनांक 10 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करना है।	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई एवं मण्डी बोर्ड यथा ई एंड वाय कंसलटेंट	

handeef

प्रदेश की मण्डियों में दिनांक 01 जनवरी 2019 से ई-अनुज्ञा मॉड्यूल के ऑनलाईन क्रियान्वयन हेतु चेक लिस्ट

क्र.	कार्य की मद	दी गई समयावधि एवं कार्य को पूरा किया जाना	किसके द्वारा	रिमार्क
6.	ई-अनुज्ञा मॉड्यूल प्रणाली की क्लाउड सर्वर पर होस्टिंग कार्य।	दिनांक 10 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करना है।	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई एवं मण्डी बोर्ड यथा ई एंड वाय कंसलटेंट	Charging Criteria for Availing NIC National Cloud Services संबंधी फार्म 24 नवम्बर 2018 को एन.आई.सी. को ई-मेल से प्रेषित।
7.	सूचनाओं के आदान-प्रदान में एस.एम.एस. सुविधा की प्राप्ति एवं ई-अनुज्ञा प्रणाली में उपयोग।	सी-डेक भारत सरकार से यह सुविधा प्राप्त की गई। <i>अनुबंध का निष्पादन शेष।</i>	मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल	दिनांक 14 नवम्बर 2018 को यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड एन.आई.सी. "ई-अनुज्ञा टीम" को सौंपे गये।
8.	मण्डी बोर्ड मुख्यालय, आंचलिक कार्यालयों, मण्डी समितियों में ई-गवर्नेंस कार्यों के क्रियान्वयन के लिये मैनपॉवर (डाटा एंट्री ऑपरेटर्स) की सेवायें अधिकृत एजेंसी से ठेके पर ली जाने संबंधी।	दिनांक 10 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करना है।	मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी-5/2/ ई-अनुज्ञा/2018/पार्ट-1/1030-1031 दिनांक 29 जून 2018। (नस्ती पृष्ठ 208 से 209 तक)
9.	प्रदेश की मण्डी समितियों में SWAN Connectivity की स्थापना।	दिनांक 06 दिसम्बर 2018 तक अंचल एवं मण्डियों के द्वारा जिले/तहसील के स्वॉन अधिकारी को आवेदन करने की कार्यवाही पूर्ण करना।	म.प्र. इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कारपोरेशन भोपाल	1. पत्र क्रमांक/976-977 दिनांक 12 अक्टूबर 2018 (समस्त संयुक्त/उप संचालक आं.का. को नस्ती पृष्ठ 145-163)

handed
संदीप कुमार चौधरी
चीफ प्रोग्रामर

प्रदेश की मण्डियों में दिनांक 01 जनवरी 2019 से ई-अनुज्ञा मॉड्यूल के ऑनलाईन कियान्वयन हेतु चेक लिस्ट

क्र.	कार्य की मद	दी गई समयावधि एवं कार्य को पूरा किया जाना	किसके द्वारा	रिमारक
10.	अंचल कार्यालय एवं मण्डी समितियों में गोप एनालिसिस की कार्यवाही पूर्ण करना।	दिनांक 10 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करना है एवं पालन प्रतिवेदन भेजना।	संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय समस्त एवं सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति समस्त	निर्देश जारी करना दिनांक 02 दिसम्बर 2018 तक।
11.	मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल में ई-अनुज्ञा प्रणाली नियंत्रण कक्ष में पदस्थ मास्टर ट्रेनर एवं कर्मियों की पदस्थी एवं उनकी प्रशिक्षण कार्यशाला।	दिनांक 06 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करना है।	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई एवं मण्डी बोर्ड मुख्यालय	ई-नाम शाखा मुख्यालय का पत्र क्रमांक/बोर्ड/रा0कृ0बा0/2018-19/ई-03/990 दिनांक 15 जून 2018 (नस्ती पृष्ठ 174) एम.आई.एस. की अ.शा. टीप क्रमांक/ईमण्डी व ईअनुज्ञा/2018-19/897 दिनांक 20 जून 2018। (नस्ती पृष्ठ 174)
12.	मण्डियों में पूर्व से उपलब्ध कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिंटर इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता एवं वैद्य एंटी वायरस आदि की क्रियाशीलता एवं वार्षिक रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	दिनांक 10 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करना है।	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति समस्त एवं संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय समस्त	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी-5/2/E-Mandi & E-Anugya/2018/844-845 दिनांक 15 मई 2018 से अनुमति। विशेष – पालन प्रतिवेदन अपेक्षित। समय सीमा दिनांक 05 दिसम्बर 2018

kan deep
संदीप कुमार चौबे
चीफ प्रोग्रामर

प्रदेश की मण्डियों में दिनांक 01 जनवरी 2019 से ई-अनुज्ञा मॉड्यूल के ऑनलाईन क्रियान्वयन हेतु चेक लिस्ट

क्र.	कार्य की मद	दी गई समयावधि एवं कार्य को पूरा किया जाना	किसके द्वारा	रिमाक
13.	मण्डी में उपलब्ध कम्प्यूटर सामग्री के अतिरिक्त ई-अनुज्ञा पत्र मॉड्यूल के ऑनलाईन क्रियान्वयन के लिये आवश्यकता होने पर निर्धारित स्पेसीफिकेशन अनुसार कम्प्यूटर/लेपटाप, एण्ड्राइड टेबलेट, लेसर प्रिंटर, मल्टी परपस प्रिंटर (MFP), यू0पी0एस0 कय व इस्टॉलेशन की कार्यवाही पूर्ण करना।	दिनांक 15 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करना है।	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति समस्त एवं संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय समस्त	1. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी-5/2/E-Mandi & E-Anugya/2018/844-845 दिनांक 15 मई 2018 से अनुमति। (नस्ती पृष्ठ 174) 2. पत्र क्रमांक/बी-5/2/ई-अनुज्ञा/2018-19/957-958 दिनांक 26 सितम्बर 2018। (नस्ती पृष्ठ 284 से 286 तक) विशेष – पालन प्रतिवेदन अपेक्षित। समय सीमा दिनांक 05 दिसम्बर 2018
14.	अंचल एवं मण्डी कर्मियों के लिये ई-अनुज्ञा ऑनलाईन प्रणाली प्रशिक्षण कार्यक्रम :- 1. किस्प संस्था भोपाल में प्रति मण्डी 01 सचिव, 02 मण्डी कर्मियों एवं 02 आंचलिक कर्मियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 24 मई से 02 जून 2018 के मध्य सम्पन्न तथा शेष अनुपस्थितों का दिनांक 09 एवं 13 जून 2018 को सम्पन्न। 2. आंचलिक कार्यालयों में प्रति मण्डी 02 कर्मियों एवं 02 व्यापारियों, प्रति अंचल 02 कर्मियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 10 जुलाई 2018 से 24 जुलाई 2018 के मध्य सम्पन्न।		संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय समस्त एवं सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति समस्त	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी-5/2/ ई-मण्डी व ई-अनुज्ञा/2017-18/851-852 दिनांक 18 मई 2018 एवं 858-859 दिनांक 26 मई 2018 एवं 866-867 दिनांक 07 जून 2018 तथा 882 दिनांक 12 जून 2018। (नस्ती पृष्ठ 46 से 53 तक, 65 से 74 तक, 94 से 95 तक) कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी-5/2/ ई-मण्डी व ई-अनुज्ञा/2018-19/913-914 दिनांक 06 जुलाई 2018 (नस्ती पृष्ठ 211 से 216 तक)

Kandee
संदीप कुमार चौवे
डीएफ प्रोग्रामर

प्रदेश की मण्डियों में दिनांक 01 जनवरी 2019 से ई-अनुज्ञा मॉड्यूल के ऑनलाईन क्रियान्वयन हेतु चेक लिस्ट

क.	कार्य की मद	दी गई समयावधि एवं कार्य को पूरा किया जाना	किसके द्वारा	रिमार्क
15.	दिनांक 01 जनवरी 2019 से ई-अनुज्ञा ऑनलाईन प्रणाली क्रियान्वयन के संदर्भ में प्रति अंचल कार्यालय से 04 माॅस्टर ट्रेनर के मान से मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।	दिनांक 06 दिसम्बर 2018 को पूर्ण करना है।	संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय समस्त	
16.	दिनांक 01 जनवरी 2019 से ई-अनुज्ञा ऑनलाईन प्रणाली क्रियान्वयन के संदर्भ में अंचल के मास्टर ट्रेनर द्वारा अंचल की जिला/मण्डी स्तर पर मण्डी कर्मियों तथा व्यापारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।	दिनांक 13 से 20 दिसम्बर 2018 के मध्य पूर्ण करना है।	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति समस्त एवं संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय समस्त	
17.	योजना के नोडल अधिकारी के रूप में संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय (समस्त) की नियुक्ति एवं योजना के उप नोडल अधिकारी के रूप में सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त) की नियुक्ति।	दिनांक 23 मई 2018 को नियुक्ति कार्य पूर्ण।	मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी-5/2/E-Anugya/2017-18/854-855 दिनांक 23 मई 2018। (नस्ती पृष्ठ 55 एवं 56)
18.	ई-अनुज्ञा ऑनलाईन प्रणाली अंतर्गत पाक्षिक विवरण पत्रक, भुगतान पत्रक, प्रदेश के बाहर से कय एवं बिलों के आधार पर छोटी मात्रा में निर्गमित कृषि उपज की प्रविष्टि कार्य पूर्ण करना ताकि दिनांक 01 जनवरी 2019 से ऑनलाईन अनुज्ञा पत्र जारी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो।	16 दिसम्बर 2018 से 31 दिसम्बर 2018 अंतिम तिथि (Dead Line) है। बिना चूक समय सीमा में पालन।	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति समस्त एवं संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय समस्त	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी-5/2/ ई-मण्डी व ई-अनुज्ञा/2018-19/868-869 दिनांक 07 जून 2018। (नस्ती पृष्ठ 75 से 76 तक) अति-महत्वपूर्ण

Handwritten signature
संदीप कुमार चौबे
चीफ प्रोग्रामर

प्रदेश की मण्डियों में दिनांक 01 जनवरी 2019 से ई-अनुज्ञा मॉड्यूल के ऑनलाईन कियान्वयन हेतु चेक लिस्ट

क्र.	कार्य की मद	दी गई समयावधि एवं कार्य को पूरा किया जाना	किसके द्वारा	रिमांक
19.	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई द्वारा प्रथमतः मण्डी के सचिव को यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड का क्रियेशन कर उनके मोबाईल नम्बर पर उपलब्ध करा दिये जावेंगे।	दिनांक 15 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करना।	भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) भोपाल	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी-5/2/ ई-मण्डी व ई-अनुज्ञा/2018-19/870-871 दिनांक 07 जून 2018। (नस्ती पृष्ठ 78 से 83 तक) पत्र क्रमांक/899-900 दिनांक 21 जून 2018। (नस्ती पृष्ठ 179 से 180 तक) पत्र क्रमांक/903-904 दिनांक 22 जून 2018। (नस्ती पृष्ठ 197 से 198 तक)
20.	मण्डी सचिव यथा उप-नोडल अधिकारी ई-अनुज्ञा ऑनलाईन प्रणाली में दर्ज अपनी प्रोफाइल को तत्काल अद्यतन करेंगे।	दिनांक 15 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करना।	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति समस्त एवं संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय समस्त	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी-5/2/ई-मण्डी व ई-अनुज्ञा/2018-19/870-871 दिनांक 07 जून 2018। (नस्ती पृष्ठ 78 से 83 तक) पत्र क्रमांक/899-900 दिनांक 21 जून 2018। (नस्ती पृष्ठ 179 से 180 तक)
21.	मण्डी सचिव अपनी मण्डी के ई-अनुज्ञा कार्य में लगे कर्मियों के पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे व किये जाने वाले कार्य का निर्धारण कर उन्हें दायित्वपूर्ण करेंगे।	दिनांक 15 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करना।	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति समस्त एवं संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय समस्त	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी-5/2/ई-मण्डी व ई-अनुज्ञा/2018-19/870-871 दिनांक 07 जून 2018। (नस्ती पृष्ठ 78 से 83 तक) पत्र क्रमांक/899-900 दिनांक 21 जून 2018। (नस्ती पृष्ठ 179 से 180 तक)

Landeep
संदीप कुमार चौबे
चीफ प्रोग्रामर

प्रदेश की मण्डियों में दिनांक 01 जनवरी 2019 से ई-अनुज्ञा मॉड्यूल के ऑनलाईन क्रियान्वयन हेतु चेक लिस्ट

क.	कार्य की मद	दी गई समयावधि एवं कार्य को पूरा किया जाना	किसके द्वारा	रिमार्क
22.	मण्डी कर्मचारी अपने एण्ड्राइड मोबाईल (Android Mobile) के आई.एम.इ.आई. (IMEI) नम्बर की प्रविष्टि कर्मचारी पंजीकरण के समय अनिवार्य रूप से ई-अनुज्ञा प्रणाली में दर्ज करें/करायेंगे।	दिनांक 15 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करना।	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति समस्त एवं संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय समस्त	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी-5/2/ ई-मण्डी व ई-अनुज्ञा/2018-19/870-871 दिनांक 07 जून 2018। (नस्ती पृष्ठ 78 से 83 तक)
23.	ई-अनुज्ञा प्रणाली में सचिव के लॉगिन आईडी0 पर व्यापारी के विवरण में सुधार व अद्यतन किये जाने हेतु उपलब्ध स्क्रीन पर व्यापारी के प्रचलित मोबाईल नम्बर के साथ ही आवश्यक प्रविष्टियाँ अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लेवें।	दिनांक 15 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करना।	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति समस्त एवं संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय समस्त	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी-5/2/ ई-मण्डी व ई-अनुज्ञा/2018-19/870-871 दिनांक 07 जून 2018। (नस्ती पृष्ठ 78 से 83 तक)
24.	व्यापारी के दर्ज विवरण का ओटीपी0 (One Time Password) के माध्यम से सत्यापन उपरांत व्यापारी के मोबाईल नम्बर पर कार्य करने का यूजर आईडी0 व पासवर्ड प्राप्त होगा।	दिनांक 15 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करना।	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति समस्त एवं संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय समस्त	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी-5/2/ई-मण्डी व ई-अनुज्ञा/2018-19/870-871 दिनांक 07 जून 2018। (नस्ती पृष्ठ 78 से 83 तक)

Landeef
संदीप कुमार
चीफ प्रोग्रामर

प्रदेश की मण्डियों में दिनांक 01 जनवरी 2019 से ई-अनुज्ञा मॉड्यूल के ऑनलाईन क्रियान्वयन हेतु चेक लिस्ट

क.	कार्य की मद	दी गई समयावधि एवं कार्य को पूरा किया जाना	किसके द्वारा	रिमार्क
25.	ई अनुज्ञा प्रणाली में उपयोग के लिये मण्डी में स्थापित इंटरनेट सुविधा में स्टेटिक आईपी0 (ग्लोबल आईपी0) की जानकारी प्रदाय संस्था से प्राप्त कर ई अनुज्ञा प्रणाली में अनिवार्य रूप से दर्ज की जाये। जिससे पोर्टल पर आईपी0 नम्बर वाले कम्प्यूटर सिस्टम से ही कार्य सम्पादित किया जा सकेगा अन्य से नहीं।	दिनांक 15 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करना।	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति समस्त एवं संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय समस्त	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी-5/2/ई-मण्डी व ई-अनुज्ञा/2018-19/870-871 दिनांक 07 जून 2018। (नस्ती पृष्ठ 78 से 83 तक)
26.	मण्डी बोर्ड मुख्यालय स्तर ई-अनुज्ञा प्रणाली क्रियान्वयन में लगी मण्डी बोर्ड एवं एन0आईपी0 टीम के लिये आवश्यक हार्डवेयर की व्यवस्था।	दिनांक 10 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करना।	संयुक्त/अपर संचालक भण्डार एवं कय, मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल	प्रबंध संचालक महोदय के नोटशीट टीप निर्देश दिनांक 22 जून 2018। (नस्ती पृष्ठ 195 से 196 तक)

Kanseeel
संदीप कुमार चौधे
चीफ प्रोग्रामर